



राजस्थान सरकार

बजट 2025-2026

वित्त एवं विनियोग विधेयक
चर्चा पर
श्री भजन लाल शर्मा
मुख्यमंत्री, राजस्थान
की घोषणाएँ

12 मार्च, 2025

घोषणायें:

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे द्वारा बजट तथा बजट पर हुई चर्चा के अवसर पर की गयी घोषणाओं की निरन्तरता में अब मैं, जन-आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए कुछ और घोषणायें सदन में करना चाहूँगा—

पेयजल :

- प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में आमजन को आसानी से पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए हमारे द्वारा 19 फरवरी, 2025 को प्रस्तुत किये गये बजट में हमने एक हजार 500 हैण्डपम्प लगाये जाने की घोषणा की थी। इसी कड़ी में, विभिन्न स्थानों की आवश्यकता के आंकलन के दृष्टिगत अब मैं, इस संख्या को बढ़ाते हुए आगामी वर्ष दो हजार 500 हैण्डपम्प लगाये जाने की घोषणा करता हूँ।
- साथ ही, प्रदेश के किसी भी क्षेत्र में उत्पन्न पेयजल सम्बन्धी समस्या का तत्काल निराकरण हो सके, इस हेतु प्रत्येक जिला कलक्टर को Summer Contingency के अन्तर्गत एक करोड़ रुपये का **Untied Fund** भी उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है।
- प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए 70 करोड़ रुपये से अधिक के कार्य करवाये जाने की मैं, घोषणा करता हूँ। ये कार्य हैं—

क्र.सं.	पेयजल सम्बन्धी कार्य	लागत
1.	नारायणपुरा, ज्ञानपुरा, मुंडावरा, बिलाली, रतनपुर/कराना, गढ़ी, बामनवास कांकड़ तथा बड़ागांव—पाइप लाइन सहित नलकूप निर्माण कार्य (बानसूर)—कोटपूतली बहरोड़	2 करोड़ 25 लाख रुपये
2.	पावटा—प्रागपुरा हेतु पेयजल योजना—कोटपूतली बहरोड़	20 करोड़ रुपये

3.	रुणिया बरडा, भवानीपुरा, सरसिया, रीको पीपलूंद हेतु जल आपूर्ति योजना (जहाजपुर)–भीलवाड़ा	25 करोड़ रुपये
4.	खण्डेला में पेयजल सम्बन्धी विभिन्न कार्य–सीकर	10 करोड़ रुपये
5.	मोही, कुंवारिया, बडारडा में जलापूर्ति योजना संवर्धन के कार्य–राजसमंद	14 करोड़ रुपये
6.	वार्ड 39, झोटवाड़ा में उच्च जलाशय का निर्माण–जयपुर	1 करोड़ 50 लाख रुपये
7.	चौमूं को बीसलपुर परियोजना से जोड़ने हेतु फिजिबिलिटी रिपोर्ट–जयपुर	25 लाख रुपये

ऊर्जा :

4. राज्य में विद्युत प्रसारण तंत्र के सुदृढ़ीकरण हेतु विभिन्न क्षमता के GSS स्थापित किये जायेंगे। ये GSS हैं—

क्र.सं.	जीएसएस
1.	33 केवी जीएसएस–मणिहारी फांटा (शिव)–बाड़मेर, डण्डाली (सिणधरी)–बालोतरा, बाघपुरा (सहाड़ा), बोरियापुरा (रायपुर)–भीलवाड़ा, थेबड़ी–डीडवाना कुचामन, बकानी–II (खानपुर), धतूरिया कलां–झालावाड़, धुँवा–बारां, चकवाड़ा (दूदू)–जयपुर, जोशियां–जैसलमेर
2.	132 केवी जीएसएस–आडेल–बाड़मेर, कटीखंडी (छबड़ा)–बारां व बडलियास (मांडलगढ़)–भीलवाड़ा, भादसोडा (कपासन)–चित्तौड़गढ़, बिचून (दूदू)–जयपुर, मुकुन्दगढ़–झुंझुनूं
3.	220 केवी जीएसएस–खोहरामुल्ला एवं मातासुला के मध्य–दौसा, फतेहगढ़–जैसलमेर

सड़क :

5. प्रदेश में सड़कों की स्थिति में सुधार हेतु हमने 19 फरवरी, 2025 को बजट प्रस्तुत करते समय प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 10–10 करोड़ रुपये की राशि से नॉन पैचेबल सड़कों के कार्य करवाये जाना प्रस्तावित किया था। अब माननीय सदस्यगण के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों से आ रही माँग के दृष्टिगत,

प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए प्रावधित 10 करोड़ रुपये में से 5 करोड़ रुपये लागत तक के मिसिंग लिंक सड़कों के कार्य करवाये जाने की मैं, घोषणा करता हूँ।

6. प्रदेश में सड़कों के विस्तार, निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु 820 करोड़ रुपये से अधिक की राशि से विभिन्न कार्य करवाये जाने की मैं, घोषणा करता हूँ। ये कार्य हैं—

क्र.सं.	सड़क सम्बन्धी कार्य	लागत
1.	हमीरपुर सड़क से वाया बस्ती होते हुए चरयामोड़ तक सड़क (2 किमी.) (थानागाजी)—अलवर	80 लाख रुपये
2.	गोवड़ी से झांकड़ी तक सड़क (3 किमी.) (थानागाजी)—अलवर	1 करोड़ 20 लाख रुपये
3.	लाड्या का गुवाड़ा से वनखंडी महादेव बंजारा बस्ती तक सड़क (1.5 किमी.) (थानागाजी)—अलवर	60 लाख रुपये
4.	हरपुरा—खुमारिया—हिंगोनिया—लल्लाई—भाटोलाव—सरवाड़—जडाना—खंगरा—सातोलाव—खिरियां खुर्द—नागोला तक एमडीआर सड़क (केकड़ी)—अजमेर	40 करोड़ रुपये
5.	रायपुर—दीपावास सम्पर्क सड़क मार्ग से कुंडाल होते हुए NH-162 तक सड़क (5 किमी.) (रायपुर)—ब्यावर	4 करोड़ रुपये
6.	चंडावल नगर से देवली कलां होते हुए रामपुरा कलां तक सड़क का चौड़ाईकरण (13 किमी.)—ब्यावर	16 करोड़ रुपये
7.	मनोहरपुर से सहरोद तक सड़क (4 किमी.) (अटरूं)—बारां	3 करोड़ 50 लाख रुपये
8.	मुण्डियर से राजपुर बैहठा सड़क (18 किमी.) (शाहबाद)—बारां	18 करोड़ रुपये
9.	किशनगंज के विभिन्न गांवों में सीसी रोड़ (8 किमी.)—बारां	14 करोड़ रुपये
10.	कोटा—धरनावदा सड़क का सुदृढ़ीकरण कार्य (1.5 किमी.) (छबड़ा)—बारां	5 करोड़ रुपये

11.	रिझा से दिलोद सड़क वाया फूलबड़ौदा सड़क का चौड़ाईकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य (10 किमी.) (छबड़ा)–बारां	10 करोड़ रुपये
12.	चक 273 RD नाथवाना RUB का निर्माण (लूणकरणसर)–बीकानेर	9 करोड़ 50 लाख रुपये
13.	सांखला फाटक रेलवे क्रॉसिंग के समीप रेलवे अण्डरपास एवं कोटगेट फाटक पर रेलवे अण्डरब्रिज–बीकानेर	35 करोड़ रुपये
14.	म्यूजियम जंक्शन पर फ्लाई ओवर की DPR–बीकानेर	1 करोड़ रुपये
15.	धनाऊ–ईशरोल–राणीगांव–रड़वा–जसाई तक सड़क का चौड़ाईकरण एवं सुदृढ़ीकरण (46 किमी.) (चौहटन)–बाड़मेर	20 करोड़ रुपये
16.	बावतरा–पादरू–मिठोड़ा–दाखा सड़क का सुदृढ़ीकरण (सिवाना)–बालोतरा	20 करोड़ रुपये
17.	बागीदौरा में भैरवजी मंदिर के पास अनास नदी पर पुल निर्माण हेतु DPR–बांसवाड़ा	50 लाख रुपये
18.	माकोद नदी पर, बड़गांव व नीचला घंटाला से रधावा के बीच पुलिया निर्माण (गढ़ी)–बांसवाड़ा	8 करोड़ रुपये
19.	बूंदी क्षेत्र की विभिन्न सड़कों का उन्नयन कार्य–बूंदी	15 करोड़ रुपये
20.	गेण्डोली से झाली जी का बराना सड़क का चौड़ाईकरण एवं सुदृढ़ीकरण (4.5 किमी.) (केशोरायपाटन)–बूंदी	9 करोड़ रुपये
21.	भरतपुर शहर की विभिन्न सड़कों एवं सड़क जंक्शनों से सम्बन्धित कार्य–भरतपुर	35 करोड़ रुपये
22.	MDR 201 सहाड़ा से कांगनी, सालेरा चौराहा, गिरडिया, नेगडिया, खेड़ा का चौड़ाईकरण एवं सुदृढ़ीकरण (19 किमी.) (सहाड़ा)–भीलवाड़ा	30 करोड़ रुपये
23.	जालमपुरा चौराहे से रावतखेड़ा, छाबडिया, भुवाना तेजा का बरडा, भवानीपुरा NH-148D (12 किमी.) (जहाजपुरा)–भीलवाड़ा	18 करोड़ रुपये
24.	बाड़ी गुडाखेड़ा से चित्तौड़गढ़ जिला सीमा तक का चौड़ाईकरण (10 किमी.) (निम्बाहेड़ा)–चित्तौड़गढ़	9 करोड़ 10 लाख रुपये

25.	विभिन्न सड़कों के निर्माण कार्य (निम्बाहेड़ा)–चित्तौड़गढ़	10 करोड़ 80 लाख रुपये
26.	अम्बामाता–मरजीवी–जोगीयों का खेड़ा, चाहरखेड़ी–छापरोल–कारूण्डा–घागरोल–नारायणी चौकी–जलोदिया केलूखेड़ा–बरखेड़ा–चिताखेड़ा–रभावली– NH-113 रभावली चौराहे तक सड़क (निम्बाहेड़ा)–चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़	10 करोड़ रुपये
27.	नगर से कुम्हेर मार्ग पर सुन्दरावली एवं जनूथर में बाईपास हेतु DPR (नगर)–डीग	20 लाख रुपये
28.	किशनपुरा एवं वरदा के बीच मोरन नदी पर पुलिया निर्माण (सागवाड़ा)–झूंगरपुर	9 करोड़ रुपये
29.	धाणी बरवा से बनकोडा तक डामर सड़क (3 किमी.) (सागवाड़ा)–झूंगरपुर	1 करोड़ 80 लाख रुपये
30.	खरगु पाल रोड से पुरानी गोशाला होते हुए नवणिया तक (3 किमी.) (सागवाड़ा)–झूंगरपुर	1 करोड़ 80 लाख रुपये
31.	ओबरी ठाकुरजी मन्दिर से पीपलागुज तक डामर सड़क मय पुलिया (2 किमी.) (सागवाड़ा)–झूंगरपुर	1 करोड़ 40 लाख रुपये
32.	गामड़ा से उदयपुरामाफी तक डामर सड़क (2 किमी.) (सागवाड़ा)–झूंगरपुर	1 करोड़ 20 लाख रुपये
33.	पादरा महादेव मन्दिर से नवाटापरा तक डामर सड़क (4 किमी.) (सागवाड़ा)–झूंगरपुर	2 करोड़ 40 लाख रुपये
34.	रा.उ.प्रा.वि. बोरखेड से पांचों का तालाब तक डामर सड़क (3 किमी.) (सागवाड़ा)–झूंगरपुर	1 करोड़ 80 लाख रुपये
35.	नागराना टोल प्लाजा से 13 एसबीएन नहर तक नवीन सड़क निर्माण (2.25 किमी.)(संगरिया)–हनुमानगढ़	95 लाख रुपये
36.	तिगरिया मोड़ से गोविन्दगढ़ वाया चारणवास सड़क का चौड़ाईकरण (10 किमी.) (चौमू)–जयपुर	20 करोड़ रुपये
37.	देवगांव सांभरिया सड़क से मुंडली सड़क निर्माण कार्य (600 मी.) (बस्सी)–जयपुर	42 लाख रुपये

38.	कोटा—झालावाड़ फोरलेन से गरोठ उज्जैन फोरलेन तक वाया सुकेत—पिपलिया—भवानीमण्डी—डग सड़क का सुदृढ़ीकरण (डग) —झालावाड़	22 करोड़ 89 लाख रुपये
39.	अगुणी ढाणी सोलाना से भुकाना बाइपास सड़क (3.5 किमी.)—झुंझुनूं	90 लाख रुपये
40.	बलौदा से उरीका (2.5 किमी.) (सूरजगढ़)—झुंझुनूं	1 करोड़ रुपये
41.	झुमोली खुर्द से सिंधियाला बाला जी मंदिर वाया पावर हाउस सीरी सड़क (1 किमी.) (सूरजगढ़)—झुंझुनूं	80 लाख रुपये
42.	किठाना (सुल्ताना—किठाना सड़क) से सुल्ताना—खुड़ोत सड़क का डामरीकरण कार्य (4 किमी.)—झुंझुनूं	1 करोड़ रुपये
43.	डेडा चाहरों की ढाणी से चिम्मा वाला बरस सड़क (1.5 किमी.) (सूरजगढ़)—झुंझुनूं	60 लाख रुपये
44.	नागवास से हरियाणा बार्डर को जोड़ने हेतु सड़क (4 किमी.) (सूरजगढ़)—झुंझुनूं	1 करोड़ 60 लाख रुपये
45.	जोड़िया से सिलारपुरी तक सड़क (2.5 किमी.) (सूरजगढ़)—झुंझुनूं	1 करोड़ रुपये
46.	पन्नेसिंहपुरा से मुडनपुरा तक सड़क (1.5 किमी.) (सूरजगढ़)—झुंझुनूं	60 लाख रुपये
47.	बुहाणा से धालौडा आश्रम तक सड़क (1.5 किमी.) (सूरजगढ़)—झुंझुनूं	60 लाख रुपये
48.	अरामी ढाणी में झाल्डी जोहडी से बुगाला बाईपास एवं मिश्राणी से लेकर पीपल जोहड़ तक सड़क (5 किमी.) (नवलगढ़)—झुंझुनूं	1 करोड़ 50 लाख रुपये
49.	लाख की ढाणी सीमा से झटपट बालाजी होते हुए डुमरा तक सड़क (2.5 किमी.) (नवलगढ़)—झुंझुनूं	75 लाख रुपये
50.	बापर से कुम्हारों का बास व नाथजी का कुआं सड़क कार्य (5 किमी.) (चिड़ावा)—झुंझुनूं	1 करोड़ 35 लाख रुपये
51.	जोधपुर से खेजड़ली तक SH 61 सड़क का चौड़ाईकरण (12 किमी.) —जोधपुर	25 करोड़ रुपये
52.	छायण से बारू सड़क (12 किमी.)—फलौदी, जैसलमेर	6 करोड़ रुपये
53.	जैसलां (घंटियाली) में मेघवालों को ढाणी रा.उ.प्रा.वि. जैसलां सड़क (3 किमी.) घंटियाली—जोधपुर	90 लाख रुपये

54.	उम्मेदनगर—मथानियां हाईवे से चम्पावतों व मेघवालों की ढाणियों तक सड़क (3 किमी.) (ऑसिया)—जोधपुर	90 लाख रुपये
55.	चामू से छाबा रोड़ (13.25 किमी.) (शेरगढ़)—जोधपुर	13 करोड़ 25 लाख रुपये
56.	भवरानी से रोजीयों की ढाणी से रायथल तक सड़क (11 किमी.) (आहोर)—जालोर	4 करोड़ रुपये
57.	ओडवाडा से बालवाडा तक सड़क (6 किमी.) (आहोर)—जालोर	2 करोड़ रुपये
58.	आकोली से रामबोटकी, दीगांव से नारणावास, सुमेरगढ़ खेड़ा से देवाड़ा, भंवरानी से रोजीयों की ढाणी से रायथल, सापणी से बोकड़ा, कवराडा से भूति, हरजी से वल्डिया महादेव, उखरडा से चांदराई, खोड़ा मोमाजी से कुआडा से थांवला तक डामरीकरण सड़क (40 किमी.) (आहोर)—जालोर	20 करोड़ रुपये
59.	खैरथल रोड से मालियों की ढाणी, ग्राम पेहल तक सड़क निर्माण कार्य (1.5 किमी.) —खैरथल तिजारा	65 लाख रुपये
60.	सांगोद, कनवास तथा दीगोद क्षेत्र की ग्रेवल सड़कों का सुदृढ़ीकरण एवं डामरीकरण—कोटा	25 करोड़ रुपये
61.	सारेला खेडलीघाटा सड़क से सारोला माइनर के किनारे ग्रेवल सड़क (1.5 किमी.) (सांगोद)—कोटा	43 लाख रुपये
62.	पाडलिया से मारवाड़ा चौकी सड़क (2 किमी.) (सांगोद)—कोटा	60 लाख रुपये
63.	असकली किमी 0/600 पर पुलिया निर्माण कार्य (रामगंजमण्डी) —कोटा	1 करोड़ 20 लाख रुपये
64.	कोटा क्षेत्र की विभिन्न सड़कों का उन्नयन कार्य—कोटा	15 करोड़ रुपये
65.	सुमेरनगर से ढीबरी चम्बल वाया गोठडाकला सड़क का चौड़ाईकरण एवं सुदृढ़ीकरण (9 किमी.)(पीपल्दा)—कोटा	7 करोड़ रुपये
66.	खेडली—गरडाना—कचौलिया—काकूनिया तक सड़क (6 किमी.) (सांगोद)—कोटा	5 करोड़ 10 लाख रुपये
67.	SH-52 किमी. 58/800 से SH-77 किमी. 19/500 तक वाया कोठीया, गढ़ी, अजबपुरा, खारीयों की ढाणी, बसई जोगीयान,	21 करोड़ रुपये

	थानागाजी, जोधपुरा, टोडी लूहार, किशोरी, भिकमपुर, अजबगढ़ तक सड़क (13 किमी.) (MDR-255) (बानसूर)–कोटपूतली बहरोड़	
68.	शुक्लावास से धाड़ा वाया पुरुषोत्तमपुरा तक सड़क (3 किमी.) (कोटपूतली)–कोटपूतली बहरोड़	2 करोड़ 18 लाख रुपये
69.	द्वारिकपुरा से दांतिल तक सड़क उन्नयन कार्य (2.78 किमी.) (कोटपूतली)–कोटपूतली बहरोड़	4 करोड़ 60 लाख रुपये
70.	जसनगर बाईपास का निर्माण (5 किमी.) (मेड़ता)–नागौर	22 करोड़ रुपये
71.	कसनाऊ (SH-92A) से ढेहरी –तरनाऊ –मेरवास –माताजी तक सड़क का चौड़ाईकरण एवं सुदृढ़ीकरण (20 किमी.) (जायल)–नागौर	21 करोड़ रुपये
72.	मेड़ता की प्रमुख सड़कों के कार्य–नागौर	15 करोड़ रुपये
73.	चुई से खिंवताना तक सड़क (5 किमी.) (डेगाना)–नागौर	1 करोड़ 53 लाख रुपये
74.	दोतिना–सिलारियां–ढेहरी–फरडोद–मेरवास–दुगस्ताऊ–धानणी–तंवरा तक सड़क (40 किमी.) (जायल)–नागौर	16 करोड़ रुपये
75.	केलवाद से हीरावास तक सड़क (5 किमी.) (सोजत)–पाली	2 करोड़ 51 लाख रुपये
76.	भगतसिंह सर्किल से जाखानगर NH-62 चौराहे तक सड़क चौड़ाईकरण (सुमेरपुर)–पाली	10 करोड़ 50 लाख रुपये
77.	सिरवल (कोटड़ा) से सुमेरपुर वाया भीमाणा–दानवरली–बीजापुर सुमेरपुर सड़क सुदृढ़ीकरण व चौड़ाईकरण हेतु DPR (53 किमी.) (बाली)–पाली	15 लाख रुपये
78.	हडमतिया मोड़ से हडमतिया जागीर तक (2.3 किमी.) सड़क निर्माण–प्रतापगढ़	1 करोड़ 10 लाख रुपये
79.	प्रतापगढ़ सड़क से वीरमसिंह नगर तक ग्रेवल सड़क का डामरीकरण (4.5 किमी.), वीरमसिंह नगर से राप्रावि बोसियों की ढाणी (जैतसर) तक सड़क (2 किमी.) (लोहावट)–फलौदी	2 करोड़ 40 लाख रुपये
80.	देलाणा भैसेडी नाडी लिंक सड़क से बामनिया सुथारों की ढाणी स्कूल तक सड़क (1.6 किमी.) (लोहावट)–फलौदी	52 लाख रुपये

81.	नान्देवाल की हवेली, लोहावट से भाकरी सड़क (14 किमी.) (लोहावट)–फलौदी	16 करोड़ रुपये
82.	गढ़टकनेत दो सौ बीघा बड़ से नीम की ढाणी तक सड़क (3 किमी.) (श्रीमाधोपुर)–सीकर	1 करोड़ 20 लाख रुपये
83.	कासली से बिन्जासी वाया नेतड़वास भुवाला एवं लाडवा तक सड़क निर्माण कार्य (16.5 किमी.)(धोद)–सीकर	17 करोड़ 90 लाख रुपये
84.	बी.टी. रोड से थोराना जोहड़ा गांव कुदन से कुदन यालसर सड़क वाया हरिराम बाबा मंदिर, कोराना जोहड़ा (3.75 किमी.) (धोद)–सीकर	1 करोड़ 20 लाख रुपये
85.	रसीदपुरा से आकवा तक (4.8 किमी.)(धोद)–सीकर	3 करोड़ 76 लाख रुपये
86.	सवाई माधोपुर में विभिन्न सड़कों के कार्य—सवाई माधोपुर	20 करोड़ रुपये
87.	खण्डार में विभिन्न सड़कों के कार्य—सवाई माधोपुर	5 करोड़ रुपये
88.	गंगापुरसिटी में विभिन्न सड़कों के कार्य—सवाई माधोपुर	10 करोड़ रुपये
89.	मेगा हाईवे से चाडक्य दह (बनास नदी) वाया बाबा आश्रम ढूँढ़ (5 किमी.)—सवाई माधोपुर	5 करोड़ रुपये
90.	रोहिड़ा नदी पर आपेश्वर महादेव के पास पुलिया निर्माण (पिण्डवाड़ा)—सिरोही	12 करोड़ 10 लाख रुपये
91.	रामसिंहपुरा से थली मोड़ तक, नारेड़ा से काचरिया सहित टोडारायसिंह की विभिन्न सड़कों के कार्य—टोंक	15 करोड़ रुपये
92.	नाहरगढ़ बाबा से हरिपुरा वाया बीच का पुरा सीसी सड़क निर्माण (4.5 किमी.)(टोडाभीम)—करौली	4 करोड़ 38 लाख रुपये
93.	श्रीमहावीर रेलवे स्टेशन से कान्दरोली रोड वाया सनेटकापुरा (5 किमी.) (हिण्डौनसिटी)—करौली	2 करोड़ 10 लाख रुपये
94.	सम्पर्क सड़क खेड़ा (4 किमी.)—प्रतापगढ़	1 करोड़ 80 लाख रुपये
95.	छबड़ा क्षेत्र में सड़क निर्माण—बारां	10 करोड़ रुपये

96.	मामली से पचलावदा गणेशपुरा सड़क (4.5 किमी.) (किशनगंज)–बारां	3 करोड़ 20 लाख रुपये
97.	सम्पर्क सड़क माधोपुरा (किशनगंज)–बारां	80 लाख रुपये
98.	कामां से बिलोंद से केदारनाथ सड़क निर्माण (6.5 किमी.)–डीग	4 करोड़ 10 लाख रुपये
99.	बड़ी सादड़ी क्षेत्र में विभिन्न सड़कों के कार्य–चित्तौड़गढ़	12 करोड़ रुपये
100.	अजमेर रोड़ से कालवाड़ रोड़ तक प्रस्तावित सेक्टर रोड़ का निर्माण एवं सौन्दर्यीकरण का कार्य–जयपुर	7 करोड़ 50 लाख रुपये
101.	केरू सालोड़ी सड़क से जोलियाली वाया पोपावास बम्बोर पुनियों की प्याऊ सड़क (लूणी)–जोधपुर	8 करोड़ रुपये
102.	कालानाडा वाया–तुकधड़ा–ढाणीवाला कुआं–मांगलियावास तक सड़क (8 किमी.) (खींवसर)–नागौर	6 करोड़ रुपये

सुनियोजित विकास एवं नागरिक सुविधायें :

7. हमारे द्वारा तीन प्रमुख Highways पर 'Zero Accident Zones' बनाये जाने की घोषणा की गयी थी। इस क्रम में अब इन Highways के समीप 5–5 स्थानों पर वाहनों, विशेष कर बड़े वाहनों के चालकों हेतु 'सुविधा एवं विश्राम स्थलों' की स्थापना करवाये जाने की मैं, घोषणा करता हूँ। इन स्थलों पर नेत्र जाँच सहित चिकित्सकीय सुविधा भी उपलब्ध करवायी जानी प्रस्तावित है।

8. साथ ही, सड़क सुरक्षा की दृष्टि से प्रदेश में वाहनों की जाँच सुनिश्चित करने के लिए निजी क्षेत्र के सहयोग से 10 ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन स्थापित किये जायेंगे।

9. प्रदेश के कोने—कोने तक, विशेषकर दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में यातायात सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 2 हजार नवीन परमिट जारी किये जाने की मैं, घोषणा करता हूँ।

10. प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में सीवरेज, ड्रेनेज, पार्क, बस स्टेण्ड सहित अन्य विकास कार्य करवाये जाने प्रस्तावित हैं। ये कार्य हैं—

क्र.सं.	विकास कार्य
1.	बस स्टेण्ड निर्माण/मरम्मत कार्य— घाटोल—बांसवाड़ा, आहोर—जालोर, टोडाभीम—करौली, नगर—डीग व रामगंजमण्डी—कोटा
2.	सीवरेज सम्बन्धी कार्य— <ul style="list-style-type: none"> इटावा में सीवरेज हेतु DPR—कोटा झुंझुनूं शहर में सीवरेज लाइन कार्य—झुंझुनूं राजसमन्द शहर के लिए सीवरेज लाइन की DPR—राजसमन्द झोटवाड़ा में सीवरेज कार्य—जयपुर
3.	ड्रेनेज सम्बन्धी कार्य— <ul style="list-style-type: none"> नदबई में ड्रेनेज सम्बन्धी कार्य की DPR—भरतपुर कुम्हेर में ड्रेनेज सम्बन्धी कार्य—डीग हवामहल क्षेत्र में ड्रेनेज सम्बन्धी कार्य—जयपुर
4.	विभिन्न योजनाओं हेतु मास्टर प्लान बनाने, विद्युतीकरण, जल आपूर्ति, सड़कों के विकास, ड्रेनेज आदि के कार्य—भरतपुर
5.	लालसोट व रामगढ़ पचवारा में नाला निर्माण, सड़क निर्माण व सौन्दर्यीकरण सम्बन्धी कार्य—दौसा
6.	कोठारी अस्पताल से बाबूलाल फाटक ओवर ब्रिज होते हुए एम.एस. कॉलेज के मुख्य नाले तक नाला निर्माण कार्य—बीकानेर
7.	मुख्य सड़कों के दोनों तरफ इंटरलॉकिंग टाइल्स, सुदृढ़ीकरण एवं सौन्दर्यीकरण कार्य—राजसमंद
8.	पृथ्वीराज नगर, अटल आवासीय, चाचियावास योजनाओं में सड़क, पार्क व अन्य निर्माण कार्य—अजमेर

9.	खोड़ा गणेशजी रोड पर 94 आवासों का निर्माण (किशनगढ़)–अजमेर
10.	थीम पार्क का निर्माण–जैसलमेर
11.	सूरसागर में अमर शहीद हेमू कालानी स्मृति स्मारक एवं उद्यान निर्माण–जोधपुर
12.	एयरपोर्ट पर नये स्टेट टर्मिनल भवन का निर्माण कार्य–जयपुर एवं किशनगढ़ एयरपोर्ट का उन्नयन–अजमेर

11. प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में आमजन को राहत प्रदान किये जाने के उद्देश्य से पट्टे तथा भवन निर्माण की अनुमति स्थानीय स्तर पर जारी किये जाने की घोषणा करता हूँ। इस कड़ी में—

- I. विकास प्राधिकरण एवं उन शहरी मुख्यालयों पर स्थित नगर निगम व नगर परिषद् क्षेत्रों में 25 हजार वर्गमीटर तक के आवासीय व 10 हजार वर्गमीटर तक के गैर आवासीय पट्टे तथा 60 मीटर ऊँचाई तक के भवनों के निर्माण की अनुमति,
- II. नगर विकास न्यास एवं उन शहरी मुख्यालयों पर स्थित नगर निगम एवं नगर परिषद् क्षेत्रों में 10 हजार वर्गमीटर तक के आवासीय एवं 5 हजार वर्गमीटर तक के गैर आवासीय पट्टे तथा 40 मीटर ऊँचाई तक के भवनों के निर्माण की अनुमति,
- III. अन्य समस्त क्षेत्रों में 5 हजार वर्गमीटर तक के आवासीय एवं 2 हजार 500 वर्गमीटर तक के गैर आवासीय पट्टे तथा 30 मीटर ऊँचाई तक के भवनों के निर्माण की अनुमति स्थानीय स्तर पर जारी की जा सकेगी।
- IV. साथ ही, पुनर्गठन एवं उप विभाजन के प्रकरणों में पट्टा जारी करने की सक्षमता तक पुनर्गठन एवं उप विभाजन भी स्थानीय स्तर पर ही किया जाना भी प्रस्तावित है।

12. इसी क्रम में, ग्रामीण क्षेत्र में अकृषि प्रयोजनार्थ रूपान्तरण की प्रक्रिया में लगने वाले समय को 90 दिवस से घटाकर 45 दिवस किया गया था। अब मैं, इस अवधि को और कम करते हुए **30 दिवस** किये जाने की घोषणा करता हूँ। साथ ही, रूपान्तरण प्रकरणों के अनुमोदन की शक्तियाँ सम्बन्धित संभागीय आयुक्त को दिया जाना भी प्रस्तावित है।

13. विकास प्राधिकरणों तथा नगर विकास न्यासों के क्षेत्राधिकार में स्थित आवासीय भूखण्डों का नीलामी के माध्यम से आवंटन में लगने वाले अत्यधिक समय को दृष्टिगत रखते हुए, प्रदेश के जरूरतमंद एवं पात्र व्यक्तियों को, आगामी वर्ष ऐसे भूखण्डों का आवंटन लॉटरी के माध्यम से किये जाने की मैं, घोषणा करता हूँ।

14. सुनियोजित विकास एवं बेहतर आधारभूत सुविधायें विकसित किये जाने की दृष्टि से BIDA के क्षेत्र का पुनर्निर्धारण करते हुए नगरीय विकास विभाग के अध्यधीन भिवाड़ी विकास प्राधिकरण तथा दिल्ली—मुम्बई कॉरिडोर पर लॉजिस्टिक हब के विकास को सुनिश्चित करने के लिए **दौसा—बांदीकुई** नगर विकास न्यास व रिफाईनरी से सम्बद्ध क्षेत्र एवं पेट्रो—केमिकल जोन के समुचित विकास हेतु बालोतरा नगर विकास न्यास का गठन किये जाने की मैं, घोषणा करता हूँ।

15. शहरी स्थानीय निकायों द्वारा करों का बेहतर तरीके से संग्रहण किये जाने हेतु गृहकर प्रणाली का व्यापक सरलीकरण किया जायेगा।

16. हमारे द्वारा 19 फरवरी, 2025 को प्रस्तुत बजट में प्रदेश के विभिन्न शहरों में 50 हजार स्ट्रीट लाईट लगाये जाने की घोषणा की गयी थी। जनप्रतिनिधियों के माध्यम से प्राप्त माँग एवं आवश्यकता के मद्देनजर में, इस संख्या को बढ़ाते हुए एक लाख स्ट्रीट लाईट लगाये जाने की घोषणा करता हूँ।

औद्योगिक विकास :

17. प्रदेश में निवेश को आकर्षित करने के लिए '**Ease of Doing Business (EoDB)**' की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए, आमजन को राहत देने की दृष्टि से प्रथम चरण में, प्रत्येक जिला मुख्यालय के साथ ही चयनित उप पंजीयक कार्यालयों (Sub Registrar Offices) का समय सप्ताह में दो दिन—सोमवार एवं शुक्रवार को, बढ़ाकर प्रातः 8 बजे से सायं 8 बजे तक किये जाने की मैं, घोषणा करता हूँ।

18. उद्यमियों को राहत उपलब्ध कराने के साथ ही पर्यावरण संरक्षण भी सुनिश्चित करने की दृष्टि से पर्यावरणीय नियमों की पालना करने वाले उद्योगों को प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल द्वारा ऑटो नवीनीकरण की सुविधा उपलब्ध करवायी जाना प्रस्तावित करता हूँ।

19. प्रदेश में उत्पादन की लागत कम कर आमजन के साथ ही उद्यमियों को राहत देने की दृष्टि से CNG एवं PNG पर VAT दर घटाकर 7.5 प्रतिशत किये जाने की मैं, घोषणा करता हूँ।

20. साथ ही, उद्यमियों को GST, VAT एवं विद्युत शुल्क सम्बन्धी विवरण एवं आवश्यक सभी कम्युनिकेशन, **Integrated Tax Management System (ITMS)** के माध्यम से उपलब्ध कराया जाना भी प्रस्तावित है।

21. प्रदेश के विकास में प्रवासी राजस्थानियों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए गुवाहाटी, भुवनेश्वर, रांची, पुणे व दिल्ली सहित दुबई, म्यूनिख, रियाद, टोक्यो, सिंगापुर, मेलबर्न, नैरोबी, कम्पाला एवं दोहा में राजस्थान फाउण्डेशन के नये चेप्टर्स शुरू किये जाने प्रस्तावित हैं।

22. प्रदेश के नवगठित जिलों—ब्यावर, बालोतरा, डीडवाना कुचामन, डीग, खैरथल तिजारा, कोटपूतली बहरोड़, फलौदी तथा सलूम्बर में जिला खनिज फाउण्डेशन ट्रस्ट (DMFT) की स्थापना की जायेगी। साथ ही, औद्योगिक क्षेत्र आकेडा छूंगर—जयपुर एवं जोधपुर—पाली मारवाड़ इंडस्ट्रियल एरिया में विकास कार्य करवाये जाने प्रस्तावित हैं।

पर्यटन, कला एवं संस्कृति :

23. राज्य के निवासियों, विशेष रूप से युवाओं का देश की वैभवशाली संस्कृति, विरासत तथा धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक स्थलों से परिचय करवाने हेतु ‘भारत एवं राजस्थान पहचान भ्रमण कार्यक्रम’ प्रारम्भ करने की मैं, घोषणा करता हूँ।

24. जैसा माननीय सदस्यों को विदित है कि वर्ष 1949 में नव संवत् चैत्र शुक्ल प्रतिपदा रेवती नक्षत्र इन्द्रयोग के दिन लौहपुरुष सरदार पटेल द्वारा विभिन्न रियासतों को मिलाते हुए ‘वृहद् राजस्थान’ की स्थापना की गयी थी। अतः 30 मार्च, 2025 को नव संवत् चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन ‘राजस्थान दिवस’ के अवसर पर सप्ताह भर वृहद् स्तर पर धूमधाम के साथ आयोजन किये जाने के लिए 25 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही, भविष्य में भी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को ही ‘राजस्थान दिवस’ मनाया जायेगा।

25. प्रदेश में विभिन्न पर्यटन एवं धार्मिक स्थलों के विकास सम्बन्धी कार्य करवाये जायेंगे। ये कार्य हैं—

क्र.सं.	पर्यटक/धार्मिक स्थलों के कार्य
1.	Rural Tourism को बढ़ावा देने हेतु मेनार-उदयपुर में विकास कार्य।
2.	रामानन्द जी की छतरी का संरक्षण एवं जीर्णोद्धार कार्य, गागरोन-झालावाड़
3.	बांके बिहारी मंदिर, लक्ष्मण मंदिर एवं गंगा मंदिर में विकास कार्य-भरतपुर
4.	श्री गलता जी मंदिर में वृहद् विकास कार्य-जयपुर
5.	भैरवजी मंदिर, भवानपुरा, आनन्दपुरी में विकास कार्य-बांसवाड़ा
6.	श्री भूरासिद्ध महाराज की पर्वत श्रृंखला पर स्थित शिव मंदिर समूहों के विकास कार्य-अलवर
7.	गुहड़ा में संत सदाराम जी महाराज का पेनोरमा-जैसलमेर
8.	अजमेर, जयपुर, पाली, चित्तौड़गढ़, अलवर, चूरू, जोधपुर, उदयपुर, करौली, राजसमंद, टोंक, सिरोही, जैसलमेर एवं बारां में स्थित राजस्थान पर्यटन विकास निगम (RTDC) की सम्पत्तियों को निजी होत्र के सहयोग से कार्यशील बनाया जाना प्रस्तावित है।
9.	राजकीय संग्रहालय एवं किले के संरक्षण, जीर्णोद्धार व उन्नयन सम्बन्धी कार्य-अजमेर
10.	प्रवेश द्वार से लेकर अम्बेडकर सर्किल सड़क मार्ग एवं विभिन्न चौराहों का सौन्दर्यीकरण-अजमेर

युवा विकास एवं कल्याण :

26. प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों में भी विभिन्न विभागों की सेवायें सुगमता एवं गुणवत्ता के साथ सुलभ करवाने तथा युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की दृष्टि से भर्ती हेतु पूर्व घोषित पदों के साथ ही आगामी वर्ष, वन विभाग में एक हजार 750 कार्मिक, 4 हजार पटवारी तथा 10 हजार स्कूल शिक्षकों की भर्ती किये जाने की मैं, घोषणा करता हूँ।

27. जो युवा प्रथम बार संगठित निजी क्षेत्र में नौकरी प्राप्त करते हैं, उनको प्रोत्साहन देने की दृष्टि से 50 हजार रुपये तक मासिक वेतन प्राप्त करने वाले नवनियुक्त युवाओं को एकबारीय सहायता के रूप में 10 हजार रुपये उपलब्ध कराने के लिए 'मुख्यमंत्री युवा रोजगार प्रोत्साहन योजना' प्रारम्भ करने की मैं, घोषणा करता हूँ।
28. सम्भाग स्तरीय '**Centre for Advanced Skilling and Career Counselling**' स्थापित करने के क्रम में जयपुर, भरतपुर एवं उदयपुर में 100–100 करोड़ रुपये के कार्य आगामी वर्ष हाथ में लिये जाने प्रस्तावित हैं।
29. प्रदेश के युवाओं को रोजगार प्राप्त करने में सहायक व्यावसायिक प्रशिक्षण की दृष्टि से प्रधानमंत्री **Internship Programme** अथवा **National Apprenticeship Programme** Join करने पर बेरोजगारी भत्ते के स्थान पर युवाओं को 6 हजार रुपये प्रतिमाह स्टाइपेंड का विकल्प दिये जाने की मैं, घोषणा करता हूँ।
30. प्रदेश के युवाओं को विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए राजकीय महाविद्यालयों के पुस्तकालयों/वाचनालयों में अध्ययन सुविधा उपलब्ध करवाये जाने की मैं, घोषणा करता हूँ।
31. प्रदेश में तकनीकी शिक्षा के विस्तार के लिए सभी नवगठित 8 जिलों में पॉलिटेक्निक महाविद्यालय स्थापित करने की घोषणा करता हूँ। साथ ही, विभिन्न उच्च एवं तकनीकी शिक्षण संस्थानों की स्थापना व भवन निर्माण सम्बन्धी कार्य करवाये जाने प्रस्तावित हैं। ये कार्य हैं—

क्र.सं.	महाविद्यालय/ पॉलिटेक्निक
1.	नवीन महाविद्यालय—घाटोल—बांसवाड़ा
2.	नवीन कृषि महाविद्यालय—पीपलूंद (जहाजपुर)—भीलवाड़ा व राजसमंद
3.	नवीन पॉलिटेक्निक महाविद्यालय—इन्द्रगढ़—बून्दी
4.	भवनों की मरम्मत एवं उन्नयन हेतु 50 करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे।

32. जयपुर स्थित कोचिंग हब में निर्मित आधारभूत संरचना का समुचित उपयोग कर युवाओं को उच्च गुणवत्ता की तकनीकी शिक्षा उपलब्ध कराने की दृष्टि से जयपुर में IIT—जोधपुर का कैम्पस स्थापित किये जाने का प्रयास किया जायेगा।

33. प्रदेश में नवीन शिक्षा नीति (NEP) के क्रियान्वयन को गति देने के साथ ही, विद्यालयों में बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने तथा प्रदेश का कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे, इस उद्देश्य से आगामी शिक्षा सत्र से हेतु ‘मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान’ (MSRA) प्रारम्भ किये जाने की मैं, घोषणा करता हूँ।

34. वंचित वर्गों, श्रमिकों और मजदूर परिवारों से आने वाले बालक—बालिकाओं को शिक्षित करने के लिए समुचित सुविधा देने के उद्देश्य से ‘राजस्थान राज्य मुक्त विद्यालय’ के अन्तर्गत ऑन डिमांड परीक्षा प्रणाली प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है।

35. आदर्श वेद आवासीय विद्यालय, रैवासा—सीकर की तर्ज पर तारातरा मठ, गोमरख धाम—बाड़मेर में भी आदर्श वेद विद्यालय की स्थापना की जानी प्रस्तावित है। साथ ही, राजसमंद में निष्क्रमणीय पशुपालक आवासीय विद्यालय खोला जायेगा।

36. प्रदेश के युवाओं को खेल सम्बन्धी समस्त आवश्यक सुविधायें प्रदान किये जाने की दिशा में हमारे द्वारा कई कदम उठाये जा रहे हैं। इन कार्यों को और अधिक गति देने की दृष्टि से 'खेल निदेशालय' की स्थापना किये जाने की मैं, घोषणा करता हूँ।

37. भीलवाड़ा में Multipurpose Sports Complex, श्रीगंगानगर में साईकिल ट्रैक तथा कुम्हेर-डीग व केशोरायपाटन-बूंदी में खेल स्टेडियम का निर्माण करवाया जायेगा।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य :

38. Thalassemia रोग से पीड़ित बच्चों के उपचार हेतु अत्याधुनिक सुविधाओं युक्त **Dedicated Thalassemia Centre** की स्थापना राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (RIMS) के अध्यधीन की जायेगी। साथ ही, Thalassemia की रोकथाम हेतु बचाव एवं नियंत्रण कार्यक्रम चलाया जाना प्रस्तावित है।

39. प्रदेश में अति गम्भीर कुपोषित बच्चों की समस्या के निदान के लिए आंगनबाड़ी केन्द्रों में ऐसे बच्चों को दिये जाने वाले पोषण में दूध की मात्रा 15 ग्राम से बढ़ाकर 25 ग्राम प्रति पैकेट किये जाने की घोषणा करता हूँ। इसके अतिरिक्त, 8 मेडिकल कॉलेज चिकित्सालयों में सम्पूर्ण स्तनपान प्रबन्धन केन्द्र (CLMC) एवं 11 अन्य चिकित्सालयों में स्तनपान प्रबन्धन इकाई (LMU) की स्थापना की जानी भी प्रस्तावित है।

40. आमजन को पर्याप्त मात्रा में आयुर्वेद एवं होम्योपैथी औषधियां उपलब्ध कराने के लिए आगामी वर्ष 30 करोड़ रुपये की राशि का अतिरिक्त प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है।

41. प्रदेश में चिकित्सा सुविधाओं के उन्नयन के लिए चिकित्सा संस्थानों की स्थापना, उन्नयन, upgradation, भवन निर्माण, repair व maintenance सम्बन्धी विभिन्न कार्य करवाये जायेंगे। ये कार्य हैं—

क्र.सं.	चिकित्सा संस्थान/कार्य
1.	<ul style="list-style-type: none"> एसएमएस में स्ट्रोक इन्टर्वेशनल एवं रिहेबिलिटेशन यूनिट की स्थापना—जयपुर आर.के. चिकित्सालय में कार्डियोलोजी यूनिट स्थापना—राजसमन्द महात्मा गांधी राजकीय चिकित्सालय में कैंसर यूनिट की स्थापना—भीलवाड़ा महात्मा गांधी चिकित्सालय में स्थायी कार्डियोलोजी यूनिट—जोधपुर
2.	<ul style="list-style-type: none"> कमला नेहरू हॉस्पिटल, कांकरोली का सैटेलाइट चिकित्सालय में क्रमोन्नयन—राजसमन्द जनाना चिकित्सालय में 4 OT का नया Block—जयपुर गणगौरी चिकित्सालय में विभिन्न विकास कार्य—जयपुर राजकीय नर्सिंग महाविद्यालय में आधारभूत सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण—जयपुर
3.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र से उप जिला चिकित्सालय में क्रमोन्नयन—नापासर (लूणकरणसर)—बीकानेर व बड़ीसादड़ी—चित्तौड़गढ़
4.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नयन—चांदोली—अलवर, सारथल—बारां, बड़लियास (मांडलगढ़)—भीलवाड़ा, लखा (फतेहगढ़)—जैसलमेर, नाणा—पाली, धोलापानी (छोटी सादड़ी), सालमगढ़—प्रतापगढ़, शिवसिंहपुरा (लालसोट)—दौसा, सिमल्या (सांगोद)—कोटा व मानोता (नगर)—डीग
5.	नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र—डया (झाड़ौल)—उदयपुर, उगरियावास—जयपुर
6.	उप स्वास्थ्य केन्द्र से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नयन—गरडदा—बूँदी, किरबाड़ा (टोडाभीम)—करौली, गोरीया—पाली, रिडमलसर (आऊ), रायमलवाड़ा (बापिणी)—फलौदी, देवरिया (पचपदरा)—बालोतरा, भोजास एवं माडपुरा (खींवसर)—नागौर व पोटला—चित्तौड़गढ़
7.	नवीन Urban Ayushmaan Aarogya Mandir (UAAM)—प्रतापनगर विस्तार (मुरलीपुरा), वीकेआई रोड, किशनबाग भट्टाबस्ती—जयपुर

8.	नवीन उप स्वास्थ्य केन्द्र—आसेजीनगर, चन्द्रनगर (बावडी खुर्द)—फलौदी, हड्डा—जैसलमेर, अणगौर—पाली, महेशपुरा, सोननगर (खींवसर)—नागौर व झिलारा—कोटा
9.	नवीन ट्रोमा सेन्टर—गोगुन्दा—उदयपुर
10.	<p>बेड क्षमता वृद्धि—</p> <ul style="list-style-type: none"> • जिला चिकित्सालय, शाहपुरा—भीलवाड़ा • उप जिला चिकित्सालय, टोडारायसिंह—टोंक • सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, घाटोल—बांसवाड़ा, चेचट—कोटा, जाखल—झुंझुनूं व उनियारा—टोंक

सामाजिक सुरक्षा :

42. “गरीबी मुक्त राजस्थान” की परिकल्पना को साकार करने हेतु ‘पण्डित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गाँव योजना’ प्रारम्भ किये जाने की मैं, घोषणा करता हूँ। इसके अन्तर्गत चरणबद्ध रूप से चिन्हित गाँवों के सभी बीपीएल परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर लाया जायेगा। आगामी वर्ष, प्रथम चरण में 5 हजार गाँवों में इस योजना का क्रियान्वयन किया जायेगा। इस हेतु 300 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

43. युवा दिव्यांगों को सम्बल प्रदान करने की दृष्टि से इस वर्ष 2 हजार Scooty दी गयी हैं। आगामी वर्ष इस संख्या में वृद्धि कर 2 हजार 500 दिव्यांगजन को Scooty दिये जाने की मैं, घोषणा करता हूँ।

44. हमारे द्वारा महिलाओं को सम्बल देकर प्रत्येक क्षेत्र में प्रोत्साहित करने की दृष्टि से लखपति दीदी के लिए मात्र 1.5 प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण की व्यवस्था एवं लाडो प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत उपलब्ध कराये जा रहे एक लाख रुपये के सेविंग बॉण्ड की राशि को बढ़ाकर 1 लाख 50 हजार रुपये करने जैसे विभिन्न कदम उठाये गये हैं। इसी क्रम में, प्रदेश में महिलाओं को सक्षम

बनाने की प्रेरणा देने के उद्देश्य से उत्कृष्ट कार्य कर रही लखपति दीदी, ड्रोन दीदी, सोलर दीदी, बैंक सखी, कृषि सखी एवं पशु सखी का सम्मान किया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु प्रत्येक ब्लॉक पर उत्कृष्ट कार्य करने वाली 10 महिलाओं को सम्मानित करने के साथ ही, उनकी कार्यकुशलता में वृद्धि हेतु टेबलेट उपलब्ध करवाये जाने की मैं, घोषणा करता हूँ।

45. प्रदेश में वंचित वर्गों के उत्थान के लिए हमारी सरकार सदैव प्रयासरत है। इसी क्रम में, MBC कल्याण हेतु देवनारायण कोष में 450 करोड़ रुपये राशि का प्रावधान प्रस्तावित है।

कृषि एवं पशुपालन:

46. किसान साथियों को माइक्रो सिंचाई हेतु आगामी वर्ष 50 हजार सौर ऊर्जा पम्पों पर अनुदान उपलब्ध करवाने का हमने निर्णय किया था। किसान साथियों की इस सम्बन्ध में अधिक आवश्यकता को देखते हुए अब मैं, इस संख्या को बढ़ाते हुए 60 हजार सौर ऊर्जा पम्पों हेतु अनुदान उपलब्ध करवाने की घोषणा करता हूँ।

47. कृषक साथियों के लिए हमने ब्याज मुक्त/अनुदानित ब्याज पर अल्पकालीन फसली ऋण, दीर्घकालीन कृषि ऋण एवं गैर कृषि कार्यों हेतु ऋण का प्रावधान किया है। अब किसान भाइयों को और अधिक राहत देने की दृष्टि से भूमि विकास बैंकों (PLDB) के ऋणों हेतु **One Time Settlement (OTS)** योजना लायी जाने की घोषणा करता हूँ। इस पर लगभग 200 करोड़ रुपये का व्यय प्रस्तावित है।

48. भरतपुर की अनाज व सरसों मण्डी को शहर से बाहर स्थानान्तरित किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही, बहरावण्डा कलां—सवाई माधोपुर, नासिरदा—टोंक व सेखाला—जोधपुर में गौण कृषि मण्डियाँ स्थापित की जायेंगी।

49. प्रदेश में सिंचाई सुविधाओं से सम्बन्धी विभिन्न कार्य 400 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से करवाये जाने की में, घोषणा करता हूँ। ये कार्य हैं—

क्र.सं.	सिंचाई कार्य	लागत
1.	जवाई कमाण्ड क्षेत्र के खालों का पक्का निर्माण का कार्य (सुमेरपुर)—पाली	20 करोड़ रुपये
2.	ठिंटोडा में ठेहलेश्वर महादेव मंदिर के समीप लघु सिंचाई योजना हेतु DPR (जहाजपुर)—भीलवाड़ा	1 करोड़ रुपये
3.	रेपी नदी में होडापुरा गांव के पास एनिकट (शाहबाद)—बारां	8 करोड़ रुपये
4.	देवरी—सिरसीपुरा तालाब की मरम्मत एवं नवीनीकरण कार्य (शाहबाद)—बारां	10 करोड़ रुपये
5.	चन्द्रभागा नदी में जल उपलब्धता बढ़ाने, मुण्डलियाखेड़ी बांध से कालीसिंध नदी के संगम तक पुनरुद्धार के तहत दो नवीन एनिकट, घाट निर्माण कार्य, बैंक प्रोटेक्शन वर्क, Desilting work—झालावाड़	11 करोड़ रुपये
6.	आम्बा, खानपुरा से दौराई के बीच, नाथूवाला रावतों के कुएं के पास एनिकट एवं कॉजवे जीर्णद्वार तथा मरम्मत व अजयसर के तालाबों की मरम्मत (पुष्कर)—अजमेर	10 करोड़ रुपये
7.	चम्बल एवं छोटी कालीसिंध नदी के संगम के पास 2 लिफ्ट बनाकर चम्बल, छोटी कालीसिंध एवं द्विप्रा नदी के मध्य के क्षेत्र में प्रेशर आधारित सिंचाई प्रणाली विकसित करने हेतु कार्य की DPR (गंगधार, डग)—झालावाड़	1 करोड़ रुपये
8.	किशनपुरा लिफ्ट परियोजना को सोलर आधारित करने, पाईप लाईनों की मरम्मत एवं अन्य जीर्णद्वार—कोटा	8 करोड़ 50 लाख रुपये

9.	मोरस बांध के केनाल की लाइनिंग एक्सटेंशन और स्लूस रिपेयरिंग कार्य (पिण्डवाड़ा)–सिरोही	5 करोड़ 50 लाख रुपये
10.	मांडवाड़ा बांध की नहरों को पक्का करने सम्बन्धी कार्य (पिण्डवाड़ा)–सिरोही	2 करोड़ 50 लाख रुपये
11.	घग्घर नदी के बहाव क्षेत्र में बाढ़ सुरक्षा की दृष्टि से कार्य—हनुमानगढ़	325 करोड़ रुपये

50. देशी पशुओं के संरक्षण व संवर्धन के लिए पाली में राज्य का प्रथम '**Centre of Excellence Indigenous Farm**' स्थापित किये जाने हेतु 10 करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे।

51. प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय बगड़—झुंझुनूं व गंगापुर—भीलवाड़ा को Polyclinic में तथा पशु चिकित्सालय बावड़ीखुर्द—फलौदी को प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय एवं पशु उप चिकित्सा केन्द्र, धीरपुरा—जोधपुर को पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत किया जायेगा।

Green Growth (हरित विकास) :

52. माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की संकल्पना 'कैच द रैन' से प्रेरणा लेकर 'कर्मभूमि से मातृभूमि' अभियान के अन्तर्गत CSR के माध्यम से 5 हजार जल पुनर्भरण संरचनाओं का निर्माण करवाया जाना प्रस्तावित है।

53. मोखला पारेवर—जैसलमेर व बुचारा मेन—जयपुर में नवीन कन्जर्वेशन रिजर्व, भरतपुर में बायोलॉजिकल पार्क की स्थापना एवं जैविक उद्यान, नाहरगढ़—जयपुर में संवर्द्धन कार्य करवाये जायेंगे। साथ ही, राज्य पक्षी गोडावण के बेहतर संरक्षण के लिए राष्ट्रीय मरु उद्यान—जैसलमेर में 2 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में विभिन्न कार्य करवाये जायेंगे।

54. साथ ही, प्रदेश के टाईगर रिजर्व्स में आवासरत ग्रामीणों को अन्यत्र पुनर्वासित करने के लिए देय पैकेज को रिवाइज किया जाना प्रस्तावित है।

55. टाडगढ़—रावली, फुलवारी की नाल एवं माउण्ट आबू वन्य जीव अभयारण्यों के इको सेंसिटिव जोन हेतु मास्टर प्लान तैयार किया जायेगा।

56. प्रदूषण मण्डल में कन्सेंट आवेदनों के बेहतर प्रबंधन हेतु ऑनलाईन प्रणाली का उन्नयन किया जायेगा।

सुशासन :

57. प्रदेश में आमजन को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने के लिए हमारे द्वारा 'राजस्थान नागरिक सुरक्षा अधिनियम' लाये जाने का विनिश्चय किया गया है। इसी क्रम में, Surveillance तंत्र का विस्तार कर सुदृढ़ किये जाने की दृष्टि से आगामी वर्ष, 25 हजार CCTV कैमरे स्थापित किये जाने की मैं, घोषणा करता हूँ। इसके साथ ही, महिला सुरक्षा की दृष्टि से आगामी वर्ष, 250 और कालिका पेट्रोलिंग यूनिट्स के गठन की भी घोषणा करता हूँ।

58. प्रदेश में कानून व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने की दृष्टि से पुलिस में 10 हजार पदों पर भर्ती की घोषणा करता हूँ। साथ ही, पुलिस हेतु 400 अतिरिक्त वाहन भी उपलब्ध करवाये जाने प्रस्तावित हैं।

59. जैसा कि माननीय सदस्यों को विदित है कि अंग्रेजों के समय से चले आ रहे कानूनों को समाप्त कर माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए देश में 'दण्ड' के स्थान पर 'न्याय' की प्राथमिकता स्थापित करते हुए नवीन न्याय संहिताओं को प्रतिस्थापित किया है। इनके समुचित क्रियान्वयन की दृष्टि से—

- I. फोरेन्सिक साक्ष्य संकलन हेतु 70 **Mobile Forensic Units** उपलब्ध करवायी जायेंगी।
 - II. अभियोजन विभाग का सुदृढ़ीकरण कर 250 नवीन पद सृजित किये जायेंगे, तथा
 - III. विभिन्न उपकरणों हेतु 50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जाना भी प्रस्तावित है।
60. वर्तमान परिप्रेक्ष्य में शासन/प्रशासन तंत्र को वैश्विक परिदृश्य के अनुरूप अधिक पारदर्शिता, गुणवत्ता एवं दक्षता से कार्य करने के लिए नये वित्तीय एवं Legal Framework को अपनाया जाना आवश्यक है। इस दृष्टि से युवाओं तथा सरकारी कार्मिकों में Financial Management तथा Legal Research की क्षमता विकसित करने हेतु National Law University, जोधपुर के अन्तर्गत **Centre of Excellence for Legal Research and Applications** व राज्य सरकार के अधीन **Centre for Economic Transformation and Financial Management** स्थापित किये जाने प्रस्तावित हैं।
61. वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सेवा प्रदायगी हेतु सूचना प्रौद्योगिकी का महत्व किसी से छुपा नहीं है तथा जिस तेजी से तकनीक उन्नत होती जा रही है, उसको अपनाते हुए ई—गवर्नेंस के विस्तार को सुनिश्चित करने के लिए विशेषज्ञों को जोड़ते हुए, राजस्थान डिजिटल मिशन प्रारम्भ करने की मैं, घोषणा करता हूँ। साथ ही, नवीन **AI/ML (Artificial Intelligence and Machine Learning) Policy** भी लायी जायेगी।

62. राजकीय कार्मिकों तथा पेंशनर्स को अतिरिक्त राहत देने के लिए विभिन्न कदम उठाये जाने प्रस्तावित हैं। ये हैं—

क्र.सं.	कार्मिक कल्याण सम्बन्धी बिन्दु
1.	राज्य सरकार के कार्मिकों के अनुरूप ही राजमेस के अधीन संचालित मेडिकल कॉलेजों में कार्यरत डेमोस्ट्रेटर/चिकित्सकों को पीजी कोर्स के दौरान अध्ययन अवकाश स्वीकृत होने पर देय वेतन एवं स्टाइपेंड का लाभ दिया जाना प्रस्तावित है।
2.	निःशक्त पुत्र/पुत्री को पारिवारिक पेंशन की पात्रता हेतु निर्धारित आय की सीमा में वृद्धि करने के लिए न्यूनतम पेंशन एवं देय महंगाई राहत की राशि में संशोधन किया जाना प्रस्तावित है।
3.	कार्मिक/पेंशनर की मृत्यु हो जाने पर पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र माता—पिता को बढ़ी हुई दर से पारिवारिक पेंशन (enhanced pension) दिए जाने हेतु पेंशन नियमों में संशोधन किया जाना प्रस्तावित है।
4.	कार्यप्रभारित कार्मिकों की वेतन विसंगति का निराकरण करने हेतु पूर्व में प्राप्त वेतनमान/पे—लेवल को संरक्षित किये जाने का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है।
5.	RGHS के तहत कैंसर पीड़ितों को सुलभता से इलाज उपलब्ध कराने हेतु Onco Facilitation Programme शुरू किया जायेगा।

63. विभिन्न विभागों में कार्यरत मंत्रालयिक कार्मिकों की समस्याओं के त्वरित निस्तारण के साथ ही, उनकी कार्य दक्षता में वृद्धि किये जाने की दृष्टि से कार्मिक विभाग के अध्यधीन ‘मंत्रालयिक निदेशालय’ की स्थापना किये जाने की मैं, घोषणा करता हूँ।

64. अधिकाधिक प्रदेशवासियों को शहरी क्षेत्र की सुविधायें प्राप्त हो सकें, इस दृष्टि से 25 नवीन नगर पालिकाओं के गठन किये जाने की मैं, घोषणा करता हूँ। साथ ही, 4 नगरीय निकायों का क्रमोन्नयन भी प्रस्तावित है। ये हैं—

क्र.सं.	नवीन नगर पालिका	जिला
1.	पीसांगन	अजमेर

2.	जसोल, समदड़ी	बालोतरा
3.	रायपुर	व्यावर
4.	बीगोद, बनेड़ा	भीलवाड़ा
5.	साहवा	चूरू
6.	मनिया, सेपऊ	धौलपुर
7.	खाटू खुर्द	डीडवाना कुचामन
8.	अरनोद	प्रतापगढ़
9.	डग, खानपुर व मनोहर थाना	झालावाड़
10.	मंड्रेला, बुहाणा, मलसीसर	झुंझुनूं
11.	कालाडेरा, कानोता, खेजरोली	जयपुर
12.	मथानियां	जोधपुर
13.	सूरौठ	करौली
14.	रियांबड़ी	नागौर
15.	पलसाना	सीकर
16.	मंडार	सिरोही
नगर निकायों का क्रमोन्नयन		
17.	जैतारण	व्यावर
18.	छबड़ा	बारां
19.	निम्बाहेड़ा	चित्तौड़गढ़
20.	रावतसर	हनुमानगढ़

65. प्रदेश में क्षेत्रीय कार्यालयों के coverage के उन्नयन के लिए विभिन्न प्रशासनिक, पुलिस इकाइयों एवं न्यायालयों की स्थापना व क्रमोन्नयन किया जायेगा। ये इकाइयाँ/न्यायालय हैं—

क्र.सं.	इकाइयों/कार्यालयों की स्थापना/क्रमोन्नयन
1.	ऊर्जा विभाग—चौहटन—बाड़मेर में अधिशाषी अभियंता (विद्युत), श्रीगंगानगर में अधीक्षण अभियंता (विद्युत)
2.	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग— तख्तगढ़—पाली में अधिशाषी अभियंता कार्यालय
3.	सार्वजनिक निर्माण विभाग— <ul style="list-style-type: none"> • बांदीकुई—दौसा व जैतारण—ब्यावर में अधिशाषी अभियंता कार्यालय • मालाखेड़ा—अलवर में सहायक अभियंता कार्यालय
4.	जल संसाधन विभाग— नसीराबाद—अजमेर व तख्तगढ़—पाली में सहायक अभियंता कार्यालय
5.	कृषि विभाग—उपरेड़ा (राशमी)—चित्तौड़गढ़ में कृषि पर्यवेक्षक कार्यालय
6.	<ul style="list-style-type: none"> • उप तहसील से तहसील—लोसल—सीकर • नवीन उप तहसील—मांगता (धौरीमन्ना)—बाड़मेर व धुंधाड़ा—जोधपुर
7.	<ul style="list-style-type: none"> • पुलिस चौकी से पुलिस थाना—गांधीनगर—भीलवाड़ा • नवीन पुलिस चौकी—नायपुर (खण्डार)—सवाई माधोपुर
8.	कार्यालय भवन निर्माण— <ul style="list-style-type: none"> • बीकानेर विकास प्राधिकरण कार्यालय का भवन निर्माण—बीकानेर • प्रतापगढ़ तहसील कार्यालय—अलवर
9.	<ul style="list-style-type: none"> • विशेष न्यायालय (एससी/एसटी)—शाहपुरा—भीलवाड़ा • सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय—खैरथल तिजारा, पहाड़ी (कामां) —डीग • राजस्व अपीलीय न्यायालय (कैम्प कोर्ट)—शाहपुरा—भीलवाड़ा व केकड़ी—अजमेर
10.	HCM RIPA, जयपुर में Recreation Centre स्थापित किया जायेगा।

11.	केन्द्रीय कारागृह कोटा एवं पाली, राजसमंद व भीलवाड़ा के जिला कारागृहों को शहर के बाहर स्थानान्तरित किया जाना प्रस्तावित है।
12.	आरएसी—धौलपुर, पुलिस ट्रेनिंग स्कूल—बीकानेर, पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र—भरतपुर, अलवर तथा थानों के आधारभूत संरचना के कार्य (65 करोड़ रुपये)

66. प्रदेश में किसी भी संस्था द्वारा जन उपयोगी कार्य करवाये जाने की स्थिति में माननीय सदस्यगण MLA LAD योजना से किसी भी ऐसी गैर राजकीय संस्था को 10 लाख रुपये तक की सहायता उपलब्ध करवा सकते हैं। अब मैं, इस राशि को बढ़ाकर 25 लाख रुपये किये जाने की घोषणा करता हूँ।

67. पिछले कुछ वर्षों में प्रदेश की महत्वपूर्ण प्रशासनिक इकाइयों यथा—उपखण्ड, तहसील, उप तहसील, गिरदावर सर्किल, पटवार मण्डल आदि के ढांचे में बिना समुचित विवेचन के व्यापक परिवर्तन किये जाने से आमजन को असुविधा का सामना करना पड़ा है। अतः प्रदेश की इन इकाइयों के सृजन, सीमांकन व क्षेत्राधिकार में परिवर्तन के सम्बन्ध में समुचित परीक्षण तथा आवश्यक कार्यवाही के लिए राज्य प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन सलाहकार समिति का गठन किया जाना प्रस्तावित है।

68. प्रदेश के नवगठित 8 जिलों में स्थापित किये जाने वाले समस्त जिला स्तरीय कार्यालयों में समुचित तालमेल के साथ अधिक दक्षता से सेवा प्रदायगी का कार्य सुनिश्चित करने की दृष्टि से ‘मिनी सचिवालय’ बनाये जाने की मैं, घोषणा करता हूँ। साथ ही, लालकोठी—जयपुर स्थित कार्मिक विभाग की भूमि पर राज्यस्तरीय कार्यालय हेतु ‘ऑफिस कॉम्प्लैक्स’ की स्थापना 450 करोड़ रुपये व्यय कर की जानी भी प्रस्तावित करता हूँ।

69. माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे द्वारा प्रस्तुत किये गये जनहितैषी तथा समावेशी बजट का जहाँ चहुँओर स्वागत हुआ है, वहीं आमजन की हमारी सरकार से अपेक्षायें भी बढ़ी हैं। इस कारण हमें, जनता तथा जनप्रतिनिधियों के माध्यम से बुनियादी सुविधाओं विशेषकर—शिक्षा एवं चिकित्सा क्षेत्र से सम्बन्धित बहुत अधिक संख्या में प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इन सभी प्रस्तावों का समुचित परीक्षण करने हेतु सम्बन्धित विभागों को निर्देश दिये जा चुके हैं। परीक्षण उपरान्त गुणावगुण के आधार पर—

- I. 50 नये प्राथमिक विद्यालय खोलने के साथ ही 100 विद्यालयों का क्रमोन्नयन तथा 100 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नवीन विषय प्रारम्भ करने की मैं, घोषणा करता हूँ।
- II. 25 उप स्वास्थ्य केन्द्रों को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा 20 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में क्रमोन्नत करने की भी घोषणा करता हूँ।

70. माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, सभी सदस्यों की ओर से प्रदेश की विधानसभा को 'पेपरलैस' करने के लिए आपको बधाई एवं धन्यवाद देना चाहूँगा। इस सम्मानित सदन में ऑनलाईन पद्धति से कार्य करने हेतु आप द्वारा उपलब्ध करवाये गये टेबलेट्स के साथ ही सभी माननीय सदस्य क्षेत्र में भी ऑनलाईन रहकर पूर्ण दक्षता से जनहित में कार्य कर सकें, इस दृष्टि से 19 फरवरी, 2025 को बजट के अन्तर्गत माननीय सदस्यगण को Laptops उपलब्ध करवाये जाने की घोषणा के क्रम में, आप सभी को जानकर हर्ष होगा कि बजट सत्र के दौरान आज ही समर्त माननीय सदस्यगण को Laptops उपलब्ध करवाये जा रहे हैं। यह भी हमारे कार्य करने की दृढ़ इच्छाशक्ति एवं गति का परिचायक है।

71. हम जनता के हितों के लिए लगातार प्रयत्नशील हैं। मैं, सम्मानित सदन को आश्वस्त करता हूँ कि सबके सहयोग व सबको साथ लेते हुए समस्त कठिनाइयों, चुनौतियों को पार कर विकसित राजस्थान @2047 की संकल्पना को मूर्त रूप देने के लिए सतत् विकास के पथ पर निरन्तर चलते रहेंगे।

“विकास के पथ पर चलना है,
नई मंजिलों की ओर बढ़ना है,

हर ओर प्रगति का उजास फैलाना है,
जन मन में आशा की किरण जगाना है,

स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार से नींव मजबूत बनानी है,
ज्ञान, कौशल, तकनीक से नई मंजिलें पानी है,

ठाना है, हर आमजन को सम्मान मिले,
जन जन को विकास का अभिमान मिले,

आओ मिलकर विकास की ओर कदम बढ़ायें,
एक नया और ‘समृद्ध राजस्थान’ बनायें।
एक नया और ‘समृद्ध राजस्थान’ बनायें।।”

—: जय हिन्द :—